ALL INDIA ASSOCIATION OF COAL EXECUTIVES (AIACE)
(Regd. Under the Trade Union Act, 1926; Regd. No. 546 / 2016)
302, Block No. 4, Ram Krishna Enclave, Nutan Chowk, Sarkanda; Bilaspur (CG)
E-mail : centralaiace@gmail.com ; Ph. 9907434051

आधिकारिक हिन्दी अनुवाद

AIACE/CENTRAL/2024 / 050 **Dated 7.6.2024**

सेवा में
श्रीमती रूपिंदर बरार,
अतिरिक्त सचिव, कोयला मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय: बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में CMPS-1998 के अंतर्गत कोयला क्षेत्र में पेंशन वृद्धि के तरीके खोजने पर कार्यशाला जिसमें AIACE, AICPA सदस्य, CMPFO और MOC अधिकारी तथा अन्य भाग लेंगे

आदरणीय महोदया,

हम याद दिलाना चाहते हैं कि 31-1-2024 को शास्त्री भवन में एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें AIACE/AICPA का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अब्दुल कलाम, डॉ. बी. के. श्रीवास्तव और पी. के. सिंह राठौर तथा MOC और CMPFO के अधिकारी अर्थात् श्रीमती संतोष, DDG, MOC और श्री वी. के. मिश्रा, आयुक्त, CMPFO ने आपकी उपस्थिति में भाग लिया था।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारे द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित निर्णय लेने का प्रयास करना था। इस पर आगे बढ़ने के लिए 24 मार्च के प्रथम सप्ताह में बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में एक व्यापक कार्यशाला आयोजित करने पर सहमति बनी थी। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के कारण प्रस्तावित कार्यशाला आयोजित नहीं की जा सकी।

यह पुनः दोहराया जाता है कि सीएमपीएफओ की सकारात्मक पहल और बैठक में दिए गए आश्वासन के मद्देनजर 12 फरवरी, 2024 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित हमारा धरना स्थगित कर दिया गया था ।

कोयला क्षेत्र में पेंशन की समस्या कॉर्पस फंड के कुप्रबंधन और उच्च प्रतिफल वाले साधनों में निवेश न करने के कारण रोग ग्रस्त है, जबकि अन्य क्षेत्रों में पेंशन योजनाएं फल-फूल रही हैं। दुख की बात है कि न तो नियमित अंतराल पर बीमांकिक समीक्षा की गई है और न ही 1998 के बाद से पेंशन की समीक्षा और संशोधन किया गया है।

सीएमपीएस-1998 के तहत पेंशन फंड प्रबंधन आलोचना और जांच का विषय रहा है, जैसा कि 18 मार्च, 2020 को संसद में प्रस्तुत लोक लेखा समिति (पीएसी) की 12वीं रिपोर्ट संख्या 2193 से स्पष्ट है। नौकरशाही की जड़ता और सक्रिय उपायों की कमी ने इस पीएसी रिपोर्ट में शामिल सुझावों पर तेजी से कार्यान्वयन को रोक दिया है।

निश्चित रूप से, मंत्रालय के दृष्टिकोण को बदलने, सेवानिवृत्त कोयला खनिकों के कल्याण को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तत्काल सुधार की आवश्यकता है ताकि उनके उचित पेंशन लाभों को तुरंत और निष्पक्ष रूप से संशोधित किया जाए।

इसलिए, हम आपसे बैठक में सहमति के अनुसार बिलासपुर कार्यशाला के लिए तिथि का शीघ्र निर्धारण करने का अनुरोध करते हैं।

सादर,
पी. के. सिंह राठौर
संयोजक, AIACE/AICPA

प्रतिलिपि:
कोयला सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली
श्रीमती संतोष अग्रवाल, डीडीजी, एमओसी
सीएमपीएफ आयुक्त, धनबाद
अध्यक्ष, सीआईएल, कोलकाता
सीएमडी, एससीसीएल, कोथागुडम